न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1985–एक/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 1–12–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 330/1993–94 अपील

कृष्णनारायणमणि पुत्र शिवशरणमणि(मृतक वारिस)

1. श्रीमती शांति पत्नि स्व. कृष्णनारायणमणि
2. मुकुन्दमणि त्रिपाठी पुत्र स्व.कृष्णनारायणमणि
3. वृजेन्द्रमणि त्रिपाठी पुत्र स्व.कृष्णनारायणमणि
4. श्रीमती करूणादेवी पुत्री स्व.कृष्णनारायणमणि ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– नागेन्द्रमण पुत्र शिवचरणमणि (फोत)

2– रूद्रमणित पुत्र शिवचरणमणि (फोत)
दोनों ग्राम हरविहा तहसील रायपुर कर्चुलिया

3– कृष्णावती पुत्री शिवचरणमणि ग्राम दुआरी

4– कृष्णवती पुत्री शिवचरणमणि (फोत)
निवासी हरदिहा तहसील रायपुर कर्चुलियान

5– सरस्वतीमणि पुत्र शिवचरणमणि ग्राम हरदिहा
त्हसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11–8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 330/1993–94 अपील में पारित आदेश दि. 1–12–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि निगरानी मेमो में अंकित अनावेदक कमांक 1, 2, 4 की मृत्यु हो चुकी है कि आवेदकगण की ओर से मृतक पक्षकारों की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी एंव वारिसान की जानकारी समय रहते प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कम में आवेदकगण के अभिभाषक तथा अनावेदकगण के अभिभाषक को मरम्मत सवाल के तथ्यों पर एंव गुणदोषों पर पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया।

2/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अनावेदक कमांक 1, 2, 4 की मृत्यु हो चुकी है एंव आवेदकगण की ओर से वारिसान की जानकारी समयावधि में प्रस्तुत न करने के कारण अपील अवेट है जिसे समाप्त किया जावे। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में 5 अनावेदक हैं यदि अनावेदक कमांक 1, 2, 4 की मृत्यु हो चुकी है तब उनके अभिभाषक का दायित्व है कि वह किस पक्षकार की मृत्यु कब हुई पक्षकारों के अभिभाषक होने से न्यायालय में स्वयं् की ओर से वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करें।

3/ प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार किया गया। यदि अनावेदक कमांक 1, 2, 4 की मृत्यु हो चुकी है तब केवल इन्हीं पक्षकारों के हित में निगरानी Abate रहेगी, शेष पक्षकारों के सम्बन्ध में मामले में गुणदोष पर विचार कर निराकरण किया जायेगा।

4/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वाद विचारित भूमि शिवचरण मणि के नाम थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी पर 2-12-1991 को नामान्तरण हुआ है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने नामान्तरण पंजी पर हुये आदेश दिनांक 2-12-91 को निरस्त कर दिया एंव प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। नायव तहसीलदार ने नागेन्द्र मणि के हित में बसीयत प्रमाणित पाने से नामान्तरण किया है क्योंकि बसीयत में अंकित है कि उभय पक्ष के बीच 18-1-1973 में बटवारा हो चुका है। घरेलू बटवारे अनुसार पूर्व से पक्षकारों के विभाजित रहने तथा नागेन्द्र मणि के हित में हुई बसीयत दिनांक 28-8-76 के प्रमाणित पाने के कारण तहसील न्यायालय ने बसीयतग्रहीता का नामान्तरण किया है

जिसे अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 35/92-93 अ-6 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-1994 से स्थिर रखा है एंव तहसील न्यायालय के आदेश एंव अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियाल के आदेश दिनांक 5-1-94 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप पाने के कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 1-12-07 में हस्तक्षेप योग्य नहीं माने हैं। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 330/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-12-2007 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर